



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना खेकडा

दिनांक 18.04.2024

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अवैध शराब तस्करो को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 64 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का व एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर, एक अवैध चाकू तथा एक मो0सा0 टीवीएस अपाचे नं0 DL-5SCH-1859 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02



अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 64 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का व एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर, एक अवैध चाकू तथा एक मो0सा0 टीवीएस अपाचे नं0 DL-5SCH-1859 बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग 119/2024 धारा 63 आबकारी अधिनियम व धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अश्वनी पुत्र जितेन्द्र निवासी शिव बिहार मेट्रो स्टेशन दिल्ली ।

स्थाई पता ग्राम शैदपुर खुर्द थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-सन्तोष पुत्र स्व0 रामाशीष निवासी ग्राम मराजी खुर्द थाना बच्छवाडा जनपद बेगूसराय ( बिहार)

हाल पता ग्राम मंडौसी थाना नन्दनगरी दिल्ली ।

गिरफ्तार अभियुक्त अश्वनी का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 012/2019 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 026/2020 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 028/2020 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 094/2017 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0 103/2020 धारा 307 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0सं0 104/2020 धारा 272/273 भादवि व 63 आबकारी अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 7-मु0अ0सं0 109/2019 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 8-मु0अ0सं0 119/2019 धारा 414 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 9-मु0अ0सं0 128/2020 25/27/3 ए एक्ट थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 10-मु0अ0सं0 187/2019 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम 420/467/468/471 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 11-मु0अ0सं0 188/2019 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम 420/467/468/471 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 12-मु0अ0सं0 94/2022 धारा 216A/395/412 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 13-मु0अ0सं0 362/2020 धारा 307 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 14-मु0अ0सं0 364/2020 धारा 63 आबकारी अधिनियम 272/273 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 15-मु0अ0सं0 501/2023 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- 64 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का ।
- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 2 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।
- एक अवैध चाकू ।
- मोटरसाईकिल टीवीएस अपाचे नं0 DL-5SCH-1859

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री भूरेन्द्र सिंह थाना खेकडा ।
- 2-उ0नि0 श्री अमरदीप कुमार थाना खेकडा ।
- 3-उ0नि0 श्री नरेशचन्द यादव थाना खेकडा ।
- 4-है0का0 292 सिराज खान थाना खेकडा ।
- 5-का0 978 पुनीत कुमार थाना खेकडा ।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना बडौत

दिनांक -18.04.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 257/24 धारा 302/504/506/34 भादवि में  
वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशादेही पर आलाकत्ल एक अवैध  
छुरा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.04.2024 को थाना बडौत पर वादी वाजिद पुत्र असफाक निवासी सुनहरी मस्जिद के पास करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1.समीर, 2.तौफीक, 3.कदीम पुत्रगण शफीक उर्फ हड्डी, 4.शफीक उर्फ हड्डी पुत्र ईशाक निवासीगण मौहल्ला पट्टी चौधरान करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ने एक राय होकर गाली-गलौच करते हुए उसके भाई



उमर पुत्र असफाक की चाकू मार कर हत्या कर दी और मौके पर आये उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 257/24 धारा 302/504/506/34 भादवि पंजीकृत किया गया एवं विवेचना की कार्यवाही प्रारंभ की गयी ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 257/24 धारा 302/504/506/34 भादवि में

वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशादेही पर आलाकत्ल एक अवैध छुरा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शफीक उर्फ हड्डी पुत्र ईशाक निवासी मौहल्ला पट्टी चौधरान करबा व थाना बडौत जनपद बागपत।

### पूछताछ का विवरण -

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मृतक उमर ने मेरे बेटे समीर से एक मोबाईल फोन खरीदा था और मोबाइल फोन खराब करके वह समीर को वापस करने लगा तो मेरे बेटे ने मोबाईल वापस लेने से मना कर दिया था। इस बात को लेकर मृतक उमर ने मेरे बेटे के साथ मारपीट कर मोबाईल तोड़ दिया था। दिनांक 12.04.2024 की शाम को मेरा बेटा समीर बाजार से घर आ रहा था तो उमर व उसके भाई ने उसके साथ गाली-गलौच की। यह बात उसने मुझे बताई। इस बात को लेकर मुझे व मेरे बेटों को गुस्सा आ गया था और मैं तथा मेरे बेटे समीर, कदीम, तौफीक सभी अपने घर से छुरा लेकर चौराहे पर पहुंच गये, जहां उमर हमें मिला और हम लोगों ने गाली-गलौच करते हुए उमर पर अपने हाथ में लिये छुरे से वार किये, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी।

### बरामदगी का विवरण-

- आलाकत्ल एक अवैध छुरा।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री विजप्रताप सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-का0 814 अमित नागर थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4-का0 972 आदित्य प्रताप सिंह जादौन थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट  
थाना बिनौली

दिनांक 18.04.2024

थाना बिनौली पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

मनोज पुत्र वीरमल निवासी ग्राम जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री दिव्य कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-का0 813 दोसेन्द्र कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।